Date : 23 फ़रवरी 2023

तमिल ब्राह्मी लिपि और कीलाड़ी सभ्यता

संदर्भ- तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के कीलाड़ी के उत्खनन स्थल में तमिल ब्राह्मी लिपि युक्त कलाकृतियों की खोज की गई है। तमिलनाडु पुरातत्व विभाग के प्रभारी शिवनाथम ने कहा कि लिपि के साक्ष्यों के संरक्षण के लिए कीलाड़ी संग्रहालय में एक विशेष स्थान निर्धारित किया जाएगा।

कीलाड़ी-

- तमिलनाडु में स्थित कीलाड़ी या कीझाड़ी, संगम युगीन बस्ती के लिए जाना जाता है।
- राज्य के पुरातत्व विभाग की सिफारिश पर यहाँ उत्खनन किया जा रहा है।
- कार्बन डेटिंग तकनीक के आधार पर यह बस्ती छठी शताब्दी ईसा पूर्व की है।
- यहाँ से प्राप्त तमिल ब्राह्मी लिपि युक्त कलाकृतियों के कारण इस बस्ती को इतिहासकारों व पुरातत्विदों के द्वारा सुशिक्षित माना जाता है।
- सिंधु घाटी सभ्यता के बाद यह भारत में सबसे प्राचीन व सुशिक्षित सभ्यता है। वैगई नदी के तट पर स्थित होने के कारण इसे वैगई सभ्यता भी कहा जाता है।

वैगई नदी- वैगई तमिलनाडु की प्राचीन सभ्यता को शरण देने वाली नदी है। इसका उद्गम स्थल तेनी जिले के पश्चिमी घाट के वरुसुनाडु पहाड़ियों में है जो पाक जल संधि में विलय हो जाती है। इस नदी के तट पर तेनी, मदुरई व डिंडीगुल शहर स्थित हैं।

कीलाड़ी में प्राप्त अवशेष

- मृदभाण्ड जैसे मिट्टी के बर्तनों में की गई कलाकृतियाँ
- सोने के गहने
- जानवरों की हड्डियाँ
- टेराकोटा से बने मनुष्य व जानवरों की आकृति के चाभी वाले खिलौने
- आकृतियों में तमिल ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण है।

तमिल ब्राह्मी लिपि

- तमिल ब्राह्मी लिपि, दक्षिण भारत में प्रयुक्त लिपि है जो उत्तर भारत में प्रयुक्त ब्राह्मी लिपि से मिलती जुलती है।
- दक्षिण भारत में तमिल ब्राह्मी लिपि, तीसरी शताब्दी ई पू. से पहली शताब्दी ई. के काल में विकसित हुई।
- इस लिपि का ज्ञान प्राचीन शिलालेखों से प्राप्त होता है।
- मूल ब्राह्मी के अतिरिक्त तमिल ब्राह्मी में 4 अन्य स्वरों के प्रतीक दिए गए हैं। जो तमिल वर्णों का प्रतिनिधित्व कर सकें।
- तमिल ब्राह्मी के वर्ण सिंहल ब्राह्मी से मिलते जुलते हैं जो गुजरात या श्रीलंका द्वीप में प्रयुक्त की जाती थी।
- संगम काल(600-300 ई.पू.) में तमिल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था।
- इस लिपि को भित्ति चित्र लिपि भी कहा जाता है। और अब तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है।

तमिल ब्राह्मी शिलालेख-

- तमिल ब्राह्मी लिपि युक्त शिलालेख अब तक प्राचीन तमिल, बौद्ध व जैन स्थलों में पाए गए हैं।
- मिट्टी के बर्तनों में प्राप्त तमिल ब्राह्मी लिपि युक्त आकृतियों से ज्ञात होता है कि तत्कालीन कुम्हारों को भी लिपि का ज्ञान था अर्थात वे शिक्षित थे।
- भारत में तमिल ब्राह्मी लिपि के प्रमाण कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में प्राप्त हुए हैं। जिनमें पालघाट व कोयम्बटूर के क्षेत्र में तमिल ब्राह्मी शिलालेख प्रमुखता से पाए गए हैं।
- तमिल ब्राह्मी व ब्राह्मी लिपि का मिश्रण मुख्यतः बंगाल की खाड़ी, सालिहुंडम(आंध्र प्रदेश), वड्डामानु, अमरावती, अरिकामेडु, कांचीपुरम, वल्लम, कोरकई और कीलाड़ी आदि क्षेत्रों में प्राप्त हुआ है।

तमिल ब्राह्मी लिपि का विस्तार क्षेत्र- भारत के साथ साथ लिपि का विस्तार भारत के सीमावर्ती देशों समेत समस्त एशिया में हुआ।

मध्य पूर्व एशिया- भारत के पश्चिम में स्थित क्षेत्र जिसे यूनाइटेड किंगडम ने मध्य पूर्व नाम दिया गया। यह एक धनी इतिहास वाला क्षेत्र होने के साथ तमिल ब्राह्मी लिपि की साक्ष्य स्थली होने के कारण दक्षिण भारत के साथ प्राचीन संबंधों को दर्शाता है। मध्य पूर्व के ओमान व मिस्र से तमिल ब्राह्मी लिपि युक्त ठीकरे मिले हैं। यह पहली या दूसरी शताब्दी के बताए जाते हैं।

दक्षिण पूर्वी एशिया- यह क्षेत्र, भौगोलिक रूप से भारत के पूर्व, चीन के दक्षिण व ऑस्ट्रिया के उत्तर और न्यू गिनी के पश्चिम में स्थित है। इसके थाईलैंड. कंबोडिया, वियतमान व इंडोनेशिया देसों से भारतीय लिपि तमिल ब्राह्मी लिपि युक्त शिलालेख व ठीकरे प्राप्त होते हैं। जो भारत के छठी शताब्दी ई.पू. में दक्षिण पूर्व देशों के साथ संबंध को प्रकट करते हैं।
अतः कीलाड़ी की तमिल ब्राह्मी सभ्यता या वैगई सभ्यता एक समृद्ध सभ्यता थी जिसका संबंध सांस्कृतिक व व्यापारिक संबंध भारतीय उपमहाद्वीप के परे देशों से था। तमिल ब्राह्मी लिपि, भारतीय इतिहास के उस काल को पाटती नजर आती है जब ब्रह्मी लिपि का प्रयोग कम होने लगा था और

दक्षिण की अन्य लिपि का उद्भव नहीं हुआ था। ऐसे समय में तमिल ब्राह्मी लिपि भारतीय शिक्षित समाज का प्रतिनिधित्व करती नजर आती है।

गुंजन जोशी

प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थल और अवशेष संशोधन विधेयक

संदर्भ- केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के अनुसार स्मारकों को फिर से परिभाषित करने और संरक्षित स्मारकों के आसपास के क्षेत्र के उपयोग को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से, सरकार बजट सत्र के दूसरे सत्र में प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष (एएमएएसआर संशोधन) विधेयक को फिर से पेश करने के लिए तैयार है।

- राष्ट्रीय स्मारकों की नई परिभाषा तय की जाएगी।
- राष्ट्रीय महत्व के लगभग 24 स्मारक खो गए हैं और 26 स्मारक समाप्त हो गए हैं।
- वर्तमान भारत में 3695 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं।

राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारक- प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार –

"प्राचीन स्मारक' से कोई संरचना, रचना या स्मारक या कोई स्तूप या दफनगाह, या कोई गुफा, शैल-रूपकृति, उत्कीर्ण लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत है-

- किसी प्राचीन स्मारक के अवशेष,
- किसी प्राचीन स्मारक का स्थल,
- किसी प्राचीन स्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा प्रभाग जो ऐसे स्मारक को बाढ़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा
- किसी प्राचीन स्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन।

प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958

सभी प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा सभी पुरातत्वीय स्थल और अवशेष, जिन्हें एनशियेन्ट एण्ड हिस्टोरिकल मान्यूमेन्ट्स एंड आर्कियोलाजिकल साइट्स एंड रिमेन्स (डिक्लेरेशन आफ नेशनल इस्पार्टेस) एक्ट, 1951 (1951 का 71) द्वारा या राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की

धारा 126 द्वारा राष्ट्रीय महत्व के होना घोषित किया गया है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या पुरातत्वीय स्थल और अवशेष समझे जाएंगे, जिन्हें राष्ट्रीय महत्व के होना घोषित किया गया है।

एएमएएसआर अधिनियम कुछ शर्तों को छोड़कर संरक्षित स्मारकों के आसपास 100 मीटर (केंद्र सरकार इस दायरे को बढ़ा सकती है)तक निर्माण पर भी प्रतिबंध लगाता है। इससे संबंधित किसी भी तरह के निर्माण, मरम्मत व विकास संबंधी कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण से अनुमति लेनी आवश्यक होती है।

प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम संशोधन के कारण

- भारत की प्राचीन संस्कृति, स्थापत्य का स्वर्णिम इतिहास संजोए थी। अतः भारत में प्राचीन स्मारकों की अधिकता है।
- सभी स्मारकों का संरक्षण संभव नहीं हो पाया है जैसे कई स्मारक लुप्त हो चुके हैं।
- स्मारकों की अधिकता व 100 मीटर का प्रतिबंध एक विशाल भूभाग में कई विकास कार्यों की संभावना को कम करता है।

स्मारकों के संरक्षण में चुनौतियाँ

- **प्रदूषण-** प्रदूषण ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण में बाधक साबित हो रहा है जैसे प्रदूषण के कारण ताजमहल के रंग का फीका पड़ना उसके क्षय को दर्शा रहा है।
- **अतिक्रमण –** ऐतिहासिक स्मारकों का अथिक्रमण भी उनके संरक्षण में बाधा उत्पन्न करता है जैसे उत्तर प्रदेश में लगभग 743 ऐतिहासिक स्मारक है जिसमें से 75 स्मारकों पर अतिक्रमण किया गया है। जैसे मेहरौली पुरातात्विक पार्क से झुग्गियों को हटाने में झुग्गी निवासी व प्रशासन दोनों त्रस्त हैं।
- **पुरातात्विक स्थलों का दोहन-** ऐसे स्थल जो पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और जहाँ उत्खनन से ऐतिहासिक साक्ष्यों की खोज की जा सकती है जो भारतीय इतिहास को सम्पन्न बनाने के साथ वर्तमान को नई दिशा दे सकते हैं। ऐसे स्थलों का दोहन निजी अथवा सार्वजनिक तौर पर किया जा रहा है जिससे उस स्थल से लोगों को हटाकर उत्खनन करना संभव नहीं हो पाता है।
- **शहरीकरण व विकास निर्माण-** शहरीकरण व विकास कार्यों के कारण कई बार ऐतिहासिक स्थल नष्ट हो जाते हैं जैसे ऐतिहासिक टिहरी रियासत, टिहरी डैम के कारण नष्ट हो गई थी।

गुंजन जोशी